

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 133-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JULY 27, 2023 (SRAVANA 5, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 27 जुलाई, 2023

संख्या 35/जीएसटी—2.— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप—धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 48/एसटी—2, दिनांक 30 जून, 2017 में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या ४८ / एसटी–२, दिनांक ३० जून, २०१७ में,
अनुबंध III में, "मैंने / हमने हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवर्ड चार्ज
के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर
कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।" शब्दों के स्थान पर, "मैंने/हमने हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम,
2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और वित्तीय वर्ष से फॉरवर्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्ति किए गए
माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है और रिवर्स चार्ज मकेनिज्म
में रिवर्ट नहीं किया है।" शब्द, चिहन और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2. यह अधिसूचना 27 जुलाई, 2023 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्यान, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 27th July, 2023

No. 35/GST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.48/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 48/ST-2, dated the 30th June, 2017,
in Annexure III, for the words "I/we have taken registration under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017
and have exercised the option to pay tax on services of Goods Transport Agency in relation to transport of goods
supplied by us during the Financial Year under forward charge.", the words "I/we have taken registration
under the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of Goods
Transport Agency in relation to transport of goods supplied by us from the Financial Year under forward
charge and have not reverted to reverse charge mechanism.", shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 27th July, 2023.

DEVINDER SINGH KALYAN, Principal Secretary to Government, Haryana, Excise and Taxation Department.

10495—C.S.—H.G.P., Pkl.